प्र.सं. ................../ दावा / प्र.पत्र / ......................

| | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12/25. | वकीलवादी उप०। बहस डेभागपक्ष सुनी गयी। पत्रा० वास्ते आदेश दि० 30/12/25 को पेश हो। (signature) | |
| 30/12/25 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी की TCR रिपोर्ट मे संलग्न दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (signature) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

| | | |
|---|---|---|
| ...ल नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
| ...05/प्रा0 पत्र/2025 | 10.06.2025 | 30.12.2025 |

सीताराम आयु 75 वर्ष आ0 श्री सेवा निवासी मीणों का मोहल्ला, लाडपुर तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 ।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 ।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादी :- श्री हिम्मत सिह
अधिवक्ता प्रतिवादी :- पेरोकार सरकार

## - : : निर्णय : : -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 23 पुराना 24 की खसरा सं. 146 रकबा 0.7446 है0, खसरा सं. 147 रकबा 2.2824 है0 खसरा सं. 210 रकबा 2.0801 है0, खसरा सं. 213 रकबा 5.1314 है0 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार हल्का लाडपुर भु. अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड़ तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित है । जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076-2076 प्रस्तुत है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। भूमि ग्राम भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था एवं जब ऑनलाईन करते समय प्रार्थी के मूल नाम/दस्तावेजी नाम के स्थान पर प्रार्थी का बोलता नाम छीत्या सहवन से प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर इन्द्राज हो गया । जबकि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम सीताराम है। प्रार्थना पत्र 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में एवं प्रार्थी जायज वारिस् है. एवं राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा, बिना दस्तावेजी परीक्षण के ही प्रार्थी का नाम प्रार्थी के बोलते नाम छीत्या के अनुसार ही छीत्या नाम खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम मूल नाम दस्तावेजी आधार पर सीताराम है। एल आर एक्ट की धारा 136 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि नाम मे गलती हुई तो प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वास्तविक नाम का इन्द्राज खातेदारी भूमि में करवा सकता है। गलत नाम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है। तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। एवं इस बाबत जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी लाडपुर से दिनांक 14.03.2025 को निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का लाडपुर के द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटोल की गई, प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 14.03.2025 को तहसीलदार तालेडा से नाम शद्धि के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नही सुनी एवं प्रार्थी की भूमि में नाम शुद्ध के सबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते हे कि प्रार्थी की वाद पत्र में वर्णित आराजी पर दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार तालेडा को आदेशित करवावे कि पुनः प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो प्रार्थना पत्र में वर्णित है पर नाम का शुद्धीकरण दर्ज कर अंकित करे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 23 पुराना 24 की खसरा सं. 146 रकबा 0.7446 है0, खसरा सं. 147 रकबा 2.2824 है0 खसरा सं. 210 रकबा 2.0801 है0, खसरा सं. 213 रकबा 5.1314 है0 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार हल्का लाडपुर भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जॉच रिपोर्ट मगवांकर नाम शुद्धिकरण के आदेश फरमावे जो प्रार्थी का

था गलत दर्ज है को शुद्ध कर प्रार्थी का नाम सीताराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 2803 दिनांक 08.07.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि भूमि खाता सं0 23 ग्राम भूमाखेडा में खातेदार छीत्या पुत्र सेवा का अंकन मुताबिक आधार जमाबन्दी में इनकी पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण सं0 351 दिनांक 08.03.1973 से सेवा के स्थान पर सरवन, छीत्या पिता सेवा की 1/4 दर्ज हुआ। जमाबन्दी में दर्ज खातेदार छीत्या पुत्र सेवा व वाद पत्र में अंकित सीताराम पुत्र सेवा एक ही व्यक्ति है।

पेरोकार सरकार ने जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि साक्ष्यों, पटवारी रिपोर्ट, ग्रामीणो के बयानों एवं अभिलेखो के समग्र परिक्षण से संतुष्ट हो की सीताराम पुत्र सेवा एवं छीत्या पुत्र सेवा एक ही व्यक्ति है तथा नाम सुधार से किसी तृतीय पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं होते तो आदेश पारित किया जा सकता है।

बहस उभयपक्ष सुनीं गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 23 पुराना 24 की खसरा सं. 146 रकबा 0.7446 है0, खसरा सं. 147 रकबा 2.2824 है0 खसरा सं. 210 रकबा 2.0801 है0, खसरा सं. 213 रकबा 5.1314 है0 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार हल्का लाडपुर भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जाँच रिपोर्ट के आधार पर नाम शुद्धिकरण के आदेश फरमावे जो प्रार्थी का नाम छीत्या गलत दर्ज है को शुद्ध कर प्रार्थी का नाम सीताराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

पेरोकार सरकार ने दोराने बहस रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा एवं दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर नाम दुरूस्त करने हेतु अनापत्ति जाहिर कीं ।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि नकल जमाबन्दी खाता सं0 97 वाके ग्राम लाडपुर संवत् 2035-38 व नामान्तकरण सं0 5 वाके ग्राम लाडपुर में सेवा के दो पुत्र सरवन व सीताराम होना प्रमाणित है। अतः छीत्या पुत्र सेवा एवं सीताराम पुत्र सेवा एक ही व्यक्ति होना प्रतीत होने से नाम संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः वाद वादी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वादी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 23 पुराना 24 की खसरा सं. 146 रकबा 0.7446 है0, खसरा सं. 147 रकबा 2.2824 है0 खसरा सं. 210 रकबा 2.0801 है0, खसरा सं. 213 रकबा 5.1314 है0 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार हल्का लाडपुर भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में वादी का नाम छीत्या के स्थान पर छीत्या उर्फ सीताराम किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा